न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

(344)

प्रकरण क्रमांक— निगरानी-4306/2018/सीधी/भू.रा.

1. लक्षिमन प्रजापति तनय बेलुआ कुम्हार,
2. सरिमन प्रजापति तनय बेलुआ कुम्हार,
3. मुन्नालाल प्रजापति तनय बेलुआ कुम्हार,

सभी निवासी ग्राम— जमोड़ी खुर्द, तहसील— गोपदबनास. जिला— सीधी (म.प्र.)

---- निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1. राधे साहू तनय बोधवा साहू निवासी ग्राम— जमोड़ी खुर्द, तहसील— गोपदबनास, जिला— सीधी (म.प्र.)

— गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

2. म0प्र0 शासन

श्री मुकेश भार्गव अभि० द्वारा आज दि० 9.7.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 17.7.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9.7.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव 17-7
9-7-18 (एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक मण्डल सीधी गिर्द— 2, तह0— गोपदबनास, जिला— सीधी (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक— 0012/ए—12/2017—18 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक— 23.04.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा— 50 म0प्र0 भू— राजस्व संहिता 1959

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति 14 से
पृष्ठ क्र. 07
दिनांक 9/7/18
हस्ताक्षर व नाम

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नांकित है:—

1. यह कि अनावेदक क्रमांक— 1/गैरनिगरानीकर्ता की ओर से अधीनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक मण्डल सीधी गिर्द— 2 तह0— गोपदबनास जिला— सीधी (म.प्र.) के समक्ष पुनरीक्षणाधीन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—4306 / 2018 / सीधी / भू.रा.

लक्षिमन प्रजापति आदि विरूद्ध राधे साहू व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक मण्डल सीधी गिर्द—2, तहसील गोपदबनास, जिला—सीधी के प्रकरण क्रमांक 0012 / अ—12 / 2017—18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23—04—2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास, जिला—सीधी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 13—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 18/03/19 सदस्य	

(3)